(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने होप्स के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई निश्चित उपाय किए हैं;

(ख) क्या देश में होप्स का कुल आन्तरिक उत्पादन इसकी कुल मांग को पूरा कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक सम्भव हो पाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हाँ । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में होप्स के विकास हेतु 1992-93 के दौरान 51.33 लाख रुपए दिए । खादय प्रसंस्करण मंत्रालय ने भी हिमाचल प्रदेश में 1991-92 के दौरान होप्स के विकास और प्रसंस्करण हेतु 40 लाख रुपए की अनुदान-सहायता दी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उद्योग की होप्स सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता लगभग 500 मी० टन है, जबकि कुल उत्पादन लगभग 250 मी० टन है । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की प्राप्ति से देश 1996-97 तक घरेलू आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने में समर्थ हो जाएगा ।

Agricultural University In North-East Region of Country

1550. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) Whether construction work of the Agricultural University proposed to be set up in the East-Northern States, has commenced; and

(b) If so, by when this University is likely to start functioning and what arrangements have so far been made in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) The construction work of the Central Agricultural University for NEH Region has not yet been started.

(b) The Vice-Chancellor of the University has been appointed and as soon as he assumes charge, the university would start functioning.

कृषि का विकास और किसानों का कुशल प्रबन्धन

1551. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के विकास और किसानों के सुप्रबंधन के संबंध में कृषि समिति, 1991-92 की पांचवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिफारिश सं० 1

1.4 समिति ने देखा है कि मानवीय तथा पशुधन की संख्या के दबाव के कारण इतने बड़े क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली चिन्तनीय दर पर खराब हो रही है और इसलिए व्यापक वर्षा सिंचित भूमि पर पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्बहाली देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

1.8 इस तथ्य को देखते हुए कि वर्षा सिंचित क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद के 9.0% का योगदान करते हैं और कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के 25.7% का योगदान करते हैं और लगभग 42.2 प्रतिशत जनसंख्या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली से आजीविका चलाती है, समिति सरकार से पुरजोर सिफारिश करती है कि वे देश की अस्थिर कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिये वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा आर्थिक व्यवस्था के समुत्थान की प्रक्रिया आरम्भ करें ।

इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा निर्यात के सुधार के लिए वर्षा सिंचित खेती की महत्वपूर्ण भूमिका तथा अत्यधिक सम्भावनाओं को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास पूर्वनिर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना चाहिए ।

कार्यवाही:—

1.4 इस समय चल रही पनधारा विकास परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य देश के विशाल वर्षापोषित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनर्बहाली करना है ।

कार्यवाही:—

1.8 पनधारा विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । आठवीं योजना में वर्षापोषित क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा कई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं । इस समय वर्षापोषित क्षेत्रों

के विकास के लिए एक 25 वर्षीय संदर्शी योजना तैयार किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

सिफारिश सं॰ 2

2.1 वर्षा होने का प्रतिरूप फसल वृद्धि आवर्तन के अनुरूप नहीं है । जुलाई और अगस्त में जब पौधे पनपते हैं अधिकांश क्षेत्र में वर्षा होती है । सितम्बर-अक्तूबर की निर्णायक अवधि के दौरान वर्षा कम हो जाती है । दो बरसातों के बीच काफी समय तक सूखा भी रहता है । सूखे के दिनों तथा फसल विकास के परवर्ती चरणों के दौरान नमी की कमी को, परिरेखा खेती, यथावत नमी संरक्षण, भारी मात्रा में जैव खाद के इस्तेमाल आदि से मृदा प्रोफाइल में अधिकतम संभव नमी के धारण को बढ़ावा देकर पूरा किया जा सकता है ।

2.5 समिति सरकार से जोरदार आग्रह करती है कि वह पोखरों की परम्परागत पद्धति में सक्रियता लाए तथा इस कच्चे पानी को बाहर ले जाने के लिए तथा इसका पुन: प्रयोग करने के लिए वर्षा जल प्रबंध प्रणाली का जाल बिछाए । इसे खुले कुओं के साथ मिलाकर वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू॰ डी॰ पी॰) के अंतर्गत अंतरतम कार्यों में अथवा अपना योगदान देना चाहिए ।

समिति यह भी महसूस करती है कि कुओं का पानी परम्परागत और साथ ही साथ आधुनिक उपायों के जरिए जल की निकासी के लिये पशुबल, वायुशक्ति, सौर ऊर्जा, डीजल शक्ति और विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाए जो उनकी उपलब्धता और व्यवहार्यता पर निर्भर करता है ।

कार्यवाही:—

2.1 तथा 2.5 इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही पनधारा विकास परियोजनाओं के अंतर्गत इसे पूरा किया जा रहा है ।

सिफारिश सं॰ 3

3.1 पहले की भू-संरक्षण योजनाएं कृषि की जाने वाली भूमि तक सीमित रह कर अधिकांशत: बांध तैयार करने और अपेक्षाकृत कम सीमा तक भू-आकार तैयार करने के लिए होती थी जिन्हें कृषि विभाग को भू-संरक्षण शाखा द्वारा क्रियान्वित किया जाता था । गैर-कृषि योग्य भूमि पर किया जाने वाला काम भी वन विभाग द्वारा स्वतन्त्र रूप से नियोजित और क्रियान्वित किया जाता था । कई क्षेत्रों में बिल्कुल भी समन्वयन नहीं था । परिणामस्वरूप, वे वाटरशेड को सम्पूर्ण रूप में एक एकक के रूप में प्रयोग करने की महत्ता को नहीं पहचान पाए तथा वे उनकी असफलता वहां तक रही कि वे एक दीर्घकालीन आधार पर महत्वपूर्ण रूप से उच्च उत्पादन को भी सुनिश्चित नहीं कर सके । दूसरे शब्दों में अब यह महसूस किया जाता है कि वाटरशेड में कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि इस तरह से प्रयोग विकसित किया जायेगा जिससे कि वर्षा सिंचित कृषि में जोखिम वाले कारकों को न्यूनतम करके निवेश का पूरा लाभ उठाया जा सके । अत: भू-कार्यों पर बड़े पैमाने पर व्यय का सहारा लिये बिना, साधारण तकनीक से समन्वित संरक्षण उपायों और उत्पादन प्रणाली पर अधिकाधिक बल देने की आवश्यकता है ।

3.5 कुल मिलाकर संरक्षण उपायों को किसान की उत्पादन प्रणाली की ओर समुचित ध्यान दिए बिना, पृथक रूप से नियोजित और क्रियान्वित किया है । स्वाभाविक रूप से किसानों ने उन्हें नहीं अपनाया और उनके प्रति कोई "उचित सम्मान" नहीं प्रदर्शित किया, अत: समिति महसूस करती है कि संरक्षण उपायों और उत्पादन प्रणाली को "क्षेत्र" एवं परिणाम के सापेक्ष में देखा जाना चाहिये । इस तरह के दृष्टिकोण से प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन आधार को पुनर्बल मिलेगा तथा बायो-मास का सतत उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा । कम वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त मूल्य तथा आय उपलब्ध कराने के लिये कुटीर और घरेलू उत्पादन प्रणाली के माध्यम से बायो-मास प्रसंस्करण भी मूल रूप से आवश्यक है । इसी प्रकार, कृषि और गैर-कृषि योग्य भूमि तथा जल निकासी की लाइनों को समन्वयन की दृष्टि से एक स्थानिक एकक माना जाना चाहिये तथा उन्हें संहित रूप में समझा जाना चाहिये । इससे भू-तथा जल-संसाधन का संरक्षण और उनका उन्नयन कार्य भी सुनिश्चित होगा । इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि वाटरशेड प्रबंधन को वैयक्तिक जोत के साथ ही साथ गाँव की सामान्य सम्पति के साधनों संबंधी गतिविधियों को भी समेकित करना चाहिये जिससे कि व्यक्तिगत कृषि प्रणाली और गाँव की कृषि प्रणाली का विकास एक सहगामी क्रियात्मक संबंधों के रूप में किया जा सके ।

कार्यवाही:—

3.1 इस समय चल रही पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत कम लागत वाले समेकित संरक्षण उपायों और विविधीकृत उत्पादन पद्धतियों पर बल दिया जा रहा है ।

3.5 इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही पनधारा विकास परियोजना में अब इसका पालन किया जा रहा है ।

सिफारिश सं॰ 4

4.1 ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक पूरा ध्यान परियोजना की विषयवस्तु पर केन्द्रित रखा गया है और परियोजना के प्रसंग की दृष्टि से ओझल रखा गया । जलग्रहण प्रबंधन परियोजनाओं में, जो मूल रूप से पारिस्थितिकी विकास के लिए तैयार की गई है, उद्देश्यों को पारित तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि विशाल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें विकसित नहीं किया जाता है । अब तक प्राप्त किए गए अनुभवों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य में वर्तमान इंजिनियरिंग ढांचें पर आधारित भू-संरक्षण प्रोद्योगिकी, जो महंगी होने के साथ-साथ वार्षिक मरम्मत के लिए नियमित धन की उपेक्षा करती है, के द्वारा केवल सरकारी तंत्र से इस कार्य का विस्तार

इस विशाल क्षेत्र तक करना संभव नहीं है ।

अत: समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति का एक मात्र रास्ता परियोजना नियोजन और क्रियान्वयन की गति को तेजी प्रदान करना है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें स्थानीय लोगों के शामिल किया जाए तथा स्थानीय पहल को प्रोत्साहन दिया जाये और स्व-सहायता को संस्कृति विकसित की जाए जिससे कि कम लागत वाली साधारण प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा सके, स्वीकार किया जा सके तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार की जायेगी । इस आवश्यकता को वाटरशेड समुदाय समझ सकता है तथा इसका स्वदेशीकरण कर सकता है । अत: वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम को एक जन आन्दोलन बनाने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिये जिसमें सरकार को अपनी प्रेरणा प्रदान करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी नियोजन, सामग्री, वित्त और मार्ग निर्देश के संबंध में अपना सहयोग भी प्रदान करना चाहिये ।

4.2 समिति आगे महसूस करती है कि स्थानीय लोगों की मदद से नियोजित और क्रियान्वित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन उनके अपने पर्यावरण में ही उन्हें वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम में एक भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक शामिल करेगी । भू-क्षरण के नियंत्रण के लिए वानस्पतिक संरक्षण विधियों को अपनाना तथा ढग-आउट रो-चार्ज दावें को परम्परागत प्रणाली के संशोधन/सस्तीकरण और खुले कुओं का जाल बिछाए जाने से अधिकांश वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम एक फसल को सफलतापूर्वक खेती को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

सामुदायिक भूमि और निजी भूमि पर भी वन रोपण तथा सामाजिक वानिकी इस कार्यक्रम में एक आवश्यक आदान है । समिति यह भी महसूस करती है कि घास के मैदानों और चरागाह विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए ।

4.3 अत: समिति सिफारिश करती है कि सभी समस्याग्रस्त क्षेत्रों का हल निकालने के लिए एक समय सीमा के भीतर, यथा पच्चीस वर्ष में, एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना विकसित की जाए जिससे कि पारिस्थितिकी और आर्थिक, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

4.4 अतीत में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए प्रयासों की संख्या से स्पष्ट रूप से यह पता चला है कि यदि जलबंध दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो वर्षा सिंचित क्षेत्रों के उत्पादन में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है । गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक एजेंसियों को स्थानीय पहल तथा स्व-सहायता अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रोत्साहनात्मक उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाना चाहिए जिसका लक्ष्य मुख्यत:/पंचायतों तथा लाभानुभोगियों के स्थानीय निकायों के दलों को संगठित करना होना चाहिये । जब कभी गैर-सरकारी संगठन सरकारी निधि प्राप्त करते है तो ऐसी बजटीय सहायता का इन संगठनों के कार्य-निष्पादन को देखते हुए समय-समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

4.5 यह समिति यह भी महसूस करती है कि किसी एक संगठन को उनके कार्य-स्थान के आस-पास स्थित अधिक से अधिक पांच पनधारा परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए ताकि उनके शामिल होने का प्रभाव दूषित न हो । सुस्पष्ट और सच्चे समर्पण और प्रेरणा वाले संगठनों और अभिकरणों को पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रम शुरू करने में तरजीह दी जानी चाहिए । समिति ने स्थानीय लोगों और सरकार को संयुक्त भागीदारी से पनधारा प्रबन्ध के कुछ सफल किस्मों का उल्लेख किया । उदाहरण के लिए झाँसी (तेजपुरा) उत्तर प्रदेश में आदर्श पनधारा परियोजनाएं छतरपुर (मध्य प्रदेश) में रोगोली पनधारा तथा महासमुण्ड (मध्य प्रदेश) में नारतोरा पनधारा परियोजना ।

4.6 देश के बारानी/वर्षापोषित क्षेत्रों में फसल उत्पादन को अच्छा बनाए रखने के लिए बीजों की उपकिस्मों का विविधिकरण और संवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य है । बीजों का उचित संवर्धन करने के लिए, इस समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक ऐसे सक्रिय, उन्नतिशील और सहयोगी जवान किसान का पता लगाने के प्रयास करने चाहिए, जो वैज्ञानिक बीज उत्पादन और संवर्धन कार्यक्रम में प्रशिक्षित हो और जो प्रदर्शन और विस्तार इकाई के तौर पर कार्य कर सके ।

4.7 समिति ने नोट किया कि पनधारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से रोजगार सृजन करने की तीन किस्में (1) आकस्मिक (2) नियमित (3) सेवा सुअवसर हो सकती हैं । वैसे, समिति इस बात से दुखी थी कि रोजगार की किस्म से सम्बन्धित जानकारी बहुत ही कम है ।

4.8 समिति यह अनुरोध करेगी कि आर्गेनिक तत्वों का आवर्तन, आर्गेनिक स्लरी और जैव-उर्वरकों के लिए अधिमानता के साथ समन्वित पोषक तत्व प्रबन्ध प्रणालियाँ, समन्वित कीट प्रबन्ध, कृषि-वानिकी, बारानी बागवानी औषधीय पौधों की खेती आदि सहित आर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धान्तों पर और अधिक भरोसा किया जाना चाहिए तथा पारिस्थितिकीय सम्पन्नता के अनुसार उनका संवर्धन किया जाना चाहिए ।

4.9 पशुधन आर्थिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । उत्पादक पशुओं की संख्या बढ़ाने तथा चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी पनधारा विकास परियोजनाओं में वे उपाय निरपवाद रूप से शुरू किए जाने चाहिए ।

4.10 समिति ने पुन: सुझाव दिया कि कुक्कुट पालन, सुअर पालन, कोशकीट पालन, मधु-मक्खी पालन, खरगोश पालन, खुम्बी की खेती, मत्स्यपालन आदि जैसे खेतों पर ही किए जाने वाले कार्यकलापों को संवर्धित करना चाहिए ताकि आय की वृद्धि तथा रोजगार का सृजन सारे साल किया जा सके ।

कार्रवाई:—

4.1 पनधारा विकास परियोजनाओं का नियोजन और

कार्यान्वयन स्थानीय समुदायों को सृजनात्मक भागीदारी द्वारा किया जा रहा है, जिसका मूलभूत उद्देश्य सभी पनधारा विकास कार्यक्रमों को लोक आन्दोलन का रूप प्रदान करना है ।

4.2 पनधारा विकास परियोजनाओं में इन पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

4.3 वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए एक 25 वर्षीय संदर्श योजना तैयार करने पर विचार किया जा रहा है ।

4.4 और 4.5 जब कभी भी सम्भव हो, स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल किया जा रहा है । इस बात की ओर ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे संगठनों को 5 से अधिक पनधारा विकास परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जाए ताकि उनके प्रयास मन्दे न पड़ें ।

4.6 इस पहलू को पनधारा विकास परियोजनाओं में शामिल किया जायेगा ।

4.7 एन० आई० सी० एन० ई० टी० कम्प्यूटर पद्धति के माध्यम से इस जानकारी को नियमित आधार पर एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

4.8, 4.9 और 4.10 इन पहलुओं को अब पनधारा विकास परियोजनाओं में पूर्णतया कवर किया जा रहा है ।

सिफारिश संख्या 5

समिति ने यह नोट किया है कि अनुसंधान तथा विकास संगठनों ने फार्म महिलाओं के जीवन और अधिक आय में योगदान करने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करने तथा उद्यमों के संवर्धन में बहुत ही कम काम किया है । ग्राम सामुदायिक भूमि और ग्रामीण इलाकों में वनों और घास आच्छादित क्षेत्रों के नष्ट किए जाने से ग्रामीण महिलाओं को अधिक थकान होती है और कड़ी मजदूरी करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें ईंधन, चारे और यहां तक कि पानी की अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक दूर तक चलना पड़ता है । भारत के वर्षासिंचित क्षेत्रों में फार्म कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सिंचित क्षेत्रों से कहीं अधिक है ।

औजारों और उपकरणों के डिजाइन फार्म महिलाओं के माप, बल और शारीरिक विन्यास के अनुरूप नहीं बनाये जाते ।

इसलिए, समिति यह अनुरोध करती है कि मंत्रालय का लक्ष्य समेकित पनधारा विकास कार्यक्रमों पर होना चाहिए जिनसे फार्म तथा गैर-फार्म उद्यमों को बढ़ावा मिलता है और जिनसे फार्म महिलाओं के रोजगार और आय में भी वृद्धि होती है । यह उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के समूह उद्यमों का संगठन करके प्राप्त किया जा सकता है जैसे कुक्कुट पालन, खरगोश पालन, डेरी उद्योग, मत्स्यपालन, टसर और रेशम के कीड़ों का पालन वन नर्सरियों का लगाया जाना, कृषि आधारित परिसंस्करण उद्योग लगाना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन किया जा सके । इस दिशा में कुछ अध्ययन एन० जी० ओ० प्रचालित कुछ परियोजनाओं में शुरू किए गए हैं परन्तु सरकार द्वारा प्रचारित कार्यक्रमों में इस दिशा में बहुत कमी है । सभी कार्यक्रमों का संकेंद्रीकरण निम्नलिखित पर है :—

(1) ग्रामीण महिलाओं की समितियों की स्थापना

(2) महिला उन्मुखी ग्रामीण उद्यमों का संवर्धन; और

(3) रोजगार के आगे आने वाले अवसरों और साथ सृजन में महिलाओं की भागीदारी ।

कार्रवाई :—कुछ उत्तरी पूर्वी राज्यों में महिलाओं के स्वयं अपनी सहायता करने वाले समूह पहले ही पनधारा विकास परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित कर लिये गये है जिनमें पानधाराओं में उपलब्ध आये-मास में से बहुत से घरेलु उत्पाद विनिर्मित किए जा रहे हैं । अन्य राज्यों में भी महिलाओं के स्वयं अपनी सहायता करने वाले समूह संगठित करने के प्रयास किए जाएगें ताकि महिला उन्मुखी उद्यमों का संवर्धन किया जा सके ।

सिफारिश संख्या 6

बारानी कृषकों को ऋण समर्थ देने संबंधी समिति को दिए गए एक टिप्पण में समिति को यह सूचित किया गया कि कृषि और सहकारिता विभाग की योजनाएं सहकारी ऋण संस्थाओं को समर्थन प्रदान करने की ओर निर्देशित हैं ताकि कृषि प्रयोजनों के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण संवितरण में उन्हें समर्थ बनाया जा सके । यद्यपि ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिनसे बारानी कृषकों को भू-उपचार और फसल तथा फसल उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण समर्थन दिया जाता हो, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्रों, बृहत फसल योजना और कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि जैसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

समिति का यह विचार है कि जब तक ऋण समर्थन नहीं दिया जाता कृषि उत्पादन में वृद्धि मृगतृष्णा स्वरूप ही बना रहेगी । इसके अतिरिक्त समिति ने यह नोट किया कि बृहत फसल बीमा योजना का स्वरूप स्वैच्छिक होने से ही इसका प्रमुख उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता । इसलिए समिति ने यह सिफारिश की कि एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिसके द्वारा बारानी कृषकों को भू-उपचार और फसल उत्पादन के लिए ऋण समर्थन दिया जा सके । समिति आगे यह सिफारिश भी करती है कि बृहत फसल बीमा योजना के संदर्भ के केन्द्र सरकार को राज्यों को अनिवार्य रूप से इस योजना को अपनाने के लिये कहना चाहिए और यदि संभव हो तो उन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए ।

सूखी भूमि क्षेत्रों के किसान अधिकतर संसाधनों की दृष्टि से गरीब है एवं अपनी फसल उगाने के लिए ऋण सहित आदानों की उनके पास कमी है । अतः समिति की सिफारिश है कि सूखी भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों को किसानों की अपेक्षाकृत कम दरों पर

ऋण एवं अन्य आदान प्रदान किए जाने चाहिए ।

कार्यवाही :

यद्यपि बृहत फसल बीमा योजना अपने वर्तमान रूप में जारी रहेगी, बीमांकिक प्रीमिया दरें लगाते हुए एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के परामर्श से बनायी जा रही है । योजना सभी कृषकों एवं फसलों को कवर करते हुए प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र के एक जिले में लागू की जायेगी ।

कृषि ऋणों पर ब्याज दरें पहले से ही वाणिज्यिक ब्याज दरों की तुलना में कम है । ब्याज दरें ऋणों के आकार पर निर्भर करते हुए 12.5 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत के बीच है । अत: बारानी क्षेत्रों के किसानों के लिए ब्याज दरों को और कम करना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है । कृषि ऋण समीक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लिए प्रभारित ब्याज दरें उच्चतम वाणिज्यिक दर से 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । ब्याज कम करने के स्थान पर ऋण की समय पर उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण है जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

सिफारिश संख्या : 7

समिति का विचार है कि किसानों के लाभ के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग राज्य की राजधानियों में मौसम विज्ञान केन्द्रों से किसानों के लिए मौसम बुलेटिनें जारी कर रहा है । ये राज्यों में अवस्थित आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं । ये बुलेटिन एक दिन में दो से तीन बार जारी किये जाते हैं एवं इसमें 48 घंटे के और दृष्टि के साथ 36 घंटे के लिए जिलावार मौसम भविष्यवाणियां रहती है । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने विभिन्न राज्यों में कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार केन्द्र स्थापित किये जो इस समय 17 राज्यों की राजधानियों में कार्य कर रहे हैं । ये केन्द्र राज्य में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कृषि मौसम विज्ञान सलाह बुलेटिनें का निर्माण करते हैं । ऐसी सलाहकारी बुलेटिनें सप्ताह में दो बार जारी की जाती है एवं प्रसारण हेतु आकाशवाणी को भेजी जाती है । पुणे में अवस्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग की कृषि मौसम प्रभाग कृषि-मौसम पर अनुसंधान आयोजित करते है । यह प्रभाग कृषि प्रचालनों की योजना बनाने के लिए मौसम स्थितियों से सम्बन्धित अद्यतन सूचना एवं मौसम विज्ञान आंकड़ों पर आधारित फसल उपज अनुमान भी प्रदान करता है ।

संपूर्ण देश के लिए दक्षिण पूर्व मानसून की बारिश के दौरान देश की औसती प्रतिशत बारिश होती है । कृषि योजनाकारों के लाभ के लिए मई में मौसम की शुरूआत के पूर्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पूर्वानुमान जारी किया जाता है । कृषि-मौसमिक सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान किसानों को समय पर उनके विभिन्न फार्म प्रबंधन कार्यों की योजना बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है । समिति का सुझाव है कि कृषि उत्पादन की उन्नति के लिए इस क्षेत्र में सुविधाओं एवं विशेषज्ञता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

समिति सिफारिश करती है कि देश के लिए उपयुक्त कम दूरी के/मध्यम दूरी के एवं लम्बी दूरी के क्षेत्रवार पूर्वानुमान के लिए जल्द से जल्द एक उपयोगी वैज्ञानिक मॉडल का विकास किया जाना चाहिए । समिति को सूचना मिली है कि फसलीकृत क्षेत्र एवं मृदा एवं जल के संसाधन आधार के अनुमान के लिए दूर संवेदी तकनीक के उपयोग की शुरूआत की गई है । समिति की सिफारिश है कि दूर संवेदी तकनीकों को भूमिगत सर्वेक्षण एवं आंकड़े के संचयन के लिए एक प्राथमिक आदान के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए ।

इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस समय जारी किये गये मौसम रिपोर्टों की सच्चाई के परीक्षण की संभावना है, समिति सिफारिश करती है कि विशिष्ट दूर संवेदी कार्यक्रमों, उच्च गति की प्राप्ति, विश्लेषण के लिए उच्च शक्ति के कम्प्यूटर एवं उपलब्ध बजटीय समर्थन के प्रकाश में उपयुक्त समय सीमा के भीतर अपेक्षित सुधार की शुरूआत की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, किसानों के लाभ के लिए समाचार पत्रों को दैनिक पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

कार्यवाही

भारतीय मौसम विज्ञान प्रचालनात्मक तरीकों में किसानों सहित विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं के लिए नियमित रूप से छोटी और बड़ी दूरी की भविष्यवाणियां जारी करता है । मध्यम दूरी की भविष्यवाणियों के लिए मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम भविष्यवाणी केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं जिसके लिए एक सुपर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है ।

भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न मौसम विज्ञान कार्यालयों से कम दूरी की मौसम भविष्यवाणियां जारी की जाती है । ये भविष्यवाणियां सामान्यत: एक दिन में से तीन बार तक जारी की जाती है और किसानों के लाभ के लिए वे प्रतिदिन इलैक्ट्रानिक और प्रकाशन माध्यमों को प्रेषित की जाती है । प्रतिकूल मौसम स्थितियों के मामले में बहुरंग अन्तरालों पर मौसम भविष्यवाणियां और चेतावनियां जारी की जाती है ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभागी सम्पूर्ण रूप से देश के लिए और प्रत्येक वर्ष मई के अन्त तक पूरे मौसम के लिए (जून से सितम्बर) दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए लम्बी दूरी की भविष्यवाणियां प्रदान कर रहा है । छोटे क्षेत्रों के लिए लम्बी दूरी की भविष्यवाणियां ज्ञात करने के लिए भारत के छोटे क्षेत्रों में मौसम के संबंध में विश्वस्तरीय मौसम पैरामीटरों का वैज्ञानिक विश्लेषण गहराई से जांच के लिए संभावित क्षेत्रों में से एक है । भारत और विश्व के अन्य भागों में लघु समय पैमाने (अर्थात महीना) पर छोटे क्षेत्रों में लम्बी दूरी की भविष्यवाणियों के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास की खोज की जा रही है । यह एक स्थायी वैज्ञानिक समस्या है । फिर भी, भारतीय मौसम विज्ञान

विभाग को इस समस्या की जानकारी है और इस दिशा में अधिकतम प्रयास कर रहा है, यद्यपि किसी प्रचालनात्मक उपयोगी परिणाम पर पहुँचने के लिए काफी समय लगेगा ।

सिफारिश संख्या 8

8.1 ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने हेतु वर्षा पर आधारित/शुष्क कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन का विविधिकरण करने और उसके आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है । इसके लिये, पशुपालन सहित पशुधन के उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए । दुधारू पशुओं के कुल पशुओं के अनुपात में 20-30% तक बढ़ाया जाना चाहिए और दूध के प्रति दिन अथवा प्रति स्तन्यपायान में सुधार किये जाने की आवश्यकता है । समिति यह सिफारिश करती है कि राज्य के विभागों को चयन/दो नस्लीकरण, उचित स्वास्थ्य देखभाल, नियंत्रण तथा ठोस चराई और चारे की व्यवस्था के माध्यम से नस्ल-सुधार के लिये अपने प्रयासों को तीव्र करना चाहिए ।

8.2 वास्तव में, प्रत्येक कृषि सम्बन्धी जलवायु क्षेत्र के लिये प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने, उसकी जाँच करने, उसको सत्यापित करने और उसका विस्तार करने हेतु एक अन्तर्विषय अनुसंधान दल और वैज्ञानिक दल बनाया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र को कुल कृषि प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया आती हो । इसमें फसल उत्पादन, बागवानी कृषि सम्बन्धी वानिकी, मुर्गीपालन और कृषि व्यवसाय से जुड़े अनेक अन्य सम्बद्ध क्षेत्र भी शामिल है ।

8.3 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विभाग को देश के सम्पूर्ण शुष्क भूमि क्षेत्र/वर्षा सिंचित क्षेत्रों में लघु पनधारा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । इन परियोजनाओं में भागीदारी अनुसंधान, मृदा सुधार हेतु विस्तार तथा जल संरक्षण प्रबंधन और तकनीकी तौर पर सुविकसित व आर्थिक रूप से लाभ ग्राहय और पर्यावरणी संतुलन बनाए रखने संबंधी कृषि प्रणाली के उपयुक्त माडलों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिये, वर्षा सिंचित खेती और कुओं को भरने और अन्य सूक्ष्म और छोटी सिंचाई परियोजाएं तथा मृदा प्रबंधन भी पनधारा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं ।

8.4 वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मूलसाधार वर्षा होना आम बात है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है और खरीफ के मौसम में विशेष रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही साथ असम में ब्रहमपुत्र घाटी के तटीय क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचता है । इसके संदर्भ में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/एस० ए० यू० को फसल संबंधी पैटर्न विकसित करना चाहिये ताकि किसान भारी वर्षा के प्रकोप से बच सकें, वैकल्पिक भूमि उपयोग में विकास और सुधार संबंधी संभावनायें जैसाकि पशुधन वृद्धि के साथ-साथ गहन जल, धान और मत्स्य पालन किया जा सकता है । जिसमें सुअर पालन और बतख पालन इत्यादि भी शामिल किया जा सकता है ।

8.5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 127 कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों का पता लगाया है । समिति सिफारिश करती है कि सामान्यतः सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि संबंधी प्रौद्योगिकियों की सूची उपलब्ध कराने के लिये पहल की जानी चाहिये । सूची पत्र (केटालॉग) में कृषि की अधिक पैदावार बनाए रखने के लिए उपलब्ध तकनीकी आदानों को शामिल किया जाना चाहिये चाहे वह फसल उत्पादन हो, पशुधन हो, बागवानी हो, मत्स्य पालन हो कृषि वानकी हो और अन्य सम्बद्ध व्यवसाय हो, इसके साथ ही इसमें विशिष्ट कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त शुष्क खेती के उपकरण भी शामिल किये जाने चाहिये । यह दस्तावेज क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन के प्रत्येक केन्द्र द्वारा मुद्रित करवाया जाना चाहिये और क्षेत्र के अनुसंधान वैज्ञानिकों और विस्तार अधिकारियों के मध्य परस्पर गंभीर रूप से विचार-विमर्श करने के बाद इसे प्रतिवर्ष अद्यतन बनाया जाना चाहिये । यह सूची पत्र (केटालॉग) निश्चिय ही सभी अनुसंधान वैज्ञानिको, विस्तार अधिकारियों और किसानों के लिये मार्गदर्शिका का कार्य करेगा । इससे जानकारी के आदान-प्रदान में आई विकृतियों को कम करने और किसानों के मध्य भ्रांतियों को दूर करने में भी सहायता प्राप्त होगी । समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि किसानों के लिए अन्तरराज्यीय दौरों का आयोजन किया जाना चाहिये और इसके लिये केन्द्र सरकार को धन मुहैया करना चहिये ताकि उनके द्वारा कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति हेतु समुचित परिप्रेक्ष्य और दक्षता प्राप्त की जा सके ।

8.6 समिति यह भी नोट करती है कि इस समय किसी भी प्रकार का डाटा बैंक बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है । व्यापक रूप से आंकड़े एकत्र करना अनिवार्य है । पनधारा मेढ़ों को बनाने, विभिन्न भूगोलिक और कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों को पता लगाने, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पता लगाना जहां तुरन्त उपग्रह चित्र, हवाई फोटोग्राफी और भूमापन सर्वेक्षण तकनीकी की आवश्यकता है के लिये सर्वप्रथम भूमि के भौतिक स्वरूप के आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है । समिति सिफारिश करती है कि पनधारा आयोजना और कार्यान्वयन संबंधी नियम पुस्तिका बनाई जानी चाहिये जिसमें विभिन्न कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के लिये संरक्षण उपायों और उत्पादन प्रणालियों की मूल विशेषताएं दी गई हों । इस पुस्तिका से, प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में आई विकृतियां का पता चलेगा और भू कार्य के संवर्धन और पूंजी लगाये जाने वाले कार्यों हेतु निहित हितों द्वारा दुरूपयोग को रोका जा सकेगा । इससे किसानों के हित में पूंजी निवेश और धन अर्जन को सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

8.7 दूसरा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पनधारा प्रबंध कार्यक्रम में किसानों का शामिल होना । प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर परिणामों के लिए विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न स्वामित्व पैटर्नों में सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

8.8 तीसरा, अवस्थाओं के अनुरूप पूंजी निवेश की

आवश्यकताओं का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। अभी तक प्रमुख, मझली और लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में प्रेक्षित रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं। यद्यपि पनधारा प्रबंध तकनीकी के मामले में एक पैमाना विकसित करना अत्यंत कठिन कार्य है किन्तु कुछ अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा जोकि प्राथमिक रूप से योजना बनाने और राज्य सरकारों, केन्द्र में आयोजकों और निर्णायकों सहित लोगों को प्रभावित करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त से संबंधित और समान रूप से महत्वपूर्ण उन लागत लाभ, अनुपातों का अध्ययन करना है जिनकी पनधारा कार्यक्रम से प्राप्त होने की संभावना है।

8.9 वर्षा और भूमिगत जल के रिसने के बीच यह सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में, यह भिन्न-भिन्न होता है क्योंकि यह भौगोलिक मिट्टी और जलवायु संबंधी दशाओं पर निर्भर करती है। यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए अपेक्षित उपचार का निर्णय लेने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

8.10 शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विशेष रूप से सतत कृषि विकास के लिए समिति सिफारिश करती है कि समेकित पौष्टिक प्रबंधन संबंधी अनुसंधान को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है विशेष रूप से फसल कृषि पद्धति में कार्बनिक, अकार्बनिक, रसायन और बायो-फर्टिलाईजर के मिश्रित उपयोग पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिये।

कार्यवाही :

8.1 पनधारा विकास परियोजना के तहत इसको किया जा रहा है।

8.2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजनाओं के तहत इसको पहले ही लिया गया है।

8.3 एवं 8.4 बारानी खेती के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के बारानी क्षेत्रों में 9 परिचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें पनधारा प्रस्ताव परियोजना तथा अनुसंधान संबंधी कार्ययोजनाओं, जिनका उद्देश्य कृषि पद्धतियों की बेहतर विधियों का विकास करना है, पर उचित जोर दिया जाएगा।

8.5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा 127 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का तन्त्र, कृषि-जलवायु सम्बन्धी क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का सृजन कर रहा है तथा इनको अच्छी तरह लेखबद्ध किया जा रहा है। इन संस्थानों द्वारा सृजित प्रौद्योगिकियों को प्रत्येक मौसम में आधुनिक बनाया जा रहा है तथा मुद्रित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध केन्द्र, हैदराबाद (मैनेज) तथा कृषि मंत्रालय का विस्तार निदेशालय, भी कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करते हैं तथा सभी राज्य विस्तार एजेन्सियों को वितरित करते हैं। किसानों का अन्तर्राज्यीय दौरा कार्यक्रम पहले ही प्रचलित है।

8.6 पनधारा, योजना तथा कार्यान्वयन पर एक वृहत मार्ग निर्देशिका (बारासी) मुद्रित की गई है तथा सभी कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों/एजेन्सियों को वितरित की गई है ताकि परियोजनाओं के सही नियोजन तथा उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

8.7 पनधारा विकास परियोजनाओं की योजना बनाने तथा तैयार करने से पहले इसको किया जा रहा है।

8.8 तथा 8.9 इन सभी पहलुओं को कवर करते हुए अध्ययन शुरू किए जाएंगे।

8.10 इन पहलुओं को पनधारा विकास परियोजनाओं के अनुकूली अनुसंधान/क्षेत्र पर परीक्षणों में कवर किया जा रहा है।

सिफारिश सं० 9

नौ अनुसंधान प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। देहरादून में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता रहा है जबकि लोटाकामण्ड, कोटा तथा हजारीबाग में वरिष्ठ क्षेत्रीय सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। अवर क्षेत्रीय कर्मियों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस समिति ने यह पाया है कि अवर क्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है जिसका प्रभाव प्रशिक्षण के पहलुओं पर पड़ सकता है क्योंकि पनधारा विकास के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है इसलिए बेहतर समन्वय के लिए इसे केन्द्रीय स्तर पर मानिटर किया जाना चाहिए। साथ ही, अवर क्षेत्रीय कर्मी ज्यादा समय तक आम जनता के सम्पर्क में रहते हैं। इसलिए उनके प्रशिक्षण को अत्याधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

लोगों की सक्रिय सहभागिता के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण होना चाहिए जो अब तक वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित मित्र-किसान की अवधारणा को लागू करके किया गया है। ये किसान प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा वापसी जानकारी के लिए वैज्ञानिकों और किसानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक पनधारा में ऐसे तीन किसानों का चयन किया जाता है। उनमें से दो कृषि कर रहे किसान होते हैं तथा तीसरा एक भूमिहीन कृषि मजदूर होता है जिसे गोपाल कहते हैं। गोपाल ग्राम समुदाय की ओर से साझी सम्पत्ति संसाधन प्रबन्ध की ओर ध्यान केन्द्रित करेंगे तथा कृषि करने वाले किसान जोती गई भूमि की तरफ ध्यान देंगे। मित्र किसानों को कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्रों, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों तथा कृषि

विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष पनधारा क्षेत्रों में कृष्य भूमि के दस प्रतिशत भाग में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं ।

समिति ने पाया है कि प्रशिक्षण केन्द्रों की बहुलता है अर्थात कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन और कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालय, जो अन्ततः अति व्याप्त परिहार्य खर्च में परिणिलित होगी । समिति सिफारिश करती है कि एक ही तरह की संस्थाएं या प्रतिष्ठान हों जिन पर किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की पूर्ण जिम्मेदारी हो ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार किसी राज्य विशेष की आवश्यकता का पूर्ण अध्ययन करने के बाद प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करें ।

कार्रवाई

समिति का यह सुझाव कि ऊपर क्षेत्रीय कर्मियों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मानिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर हो, नोट कर लिया गया है । पनधारा विकास के बारे में पाठ्यक्रम की मदों की सम्पूर्ण जांच की जाएगी ताकि यह क्षेत्रोन्मुखी बन सके । इस मंत्रालय के विस्तार प्रभाग के अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण बुनियादी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक योजना है ।

कुछेक राज्यों में केन्द्रीय सहायता से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं । मित्र किसानों, गोपालों आदि का प्रशिक्षण मुख्यतया राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों पर आयोजित किया जाता है । कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग किसानों के प्रशिक्षणार्थ वहां किया जाता है जहां पनधारा के निकट कोई क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र नहीं होता ।

वैसे, किसानों के प्रशिक्षण के बारे में खर्च की अति-व्याप्तता से बचने के बारे में समिति के सुझाव को नोट कर लिया गया है ।

सिफारिश सं० 10

10.1 इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी देखा है कि सरकार परियोजना नियोजन, परियोजना निरूपण, कार्यान्वयन तथा परियोजना परिसम्पत्तियों की परियोजना व्यवस्था के पश्चात् प्रबन्ध में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है, जो प्रणाली एवं नीति का एक अभिन्न अंग है ।

10.2 समिति को यह बताया गया है कि विकसित सामान्य परिसम्पत्ति संसाधनों के उपयुक्त रखरखाव के लिए इस समय कोई पनधारा समिति नहीं है । समिति मंत्रालय से यह अपील करती है कि नियत कार्यक्रम की कार्य समाप्ति पर जैसे ही कार्यान्वयनकारी एजेंसी रूखसत होती है, पनधारा में विकसित सामान्य परिसम्पत्ति संसाधनों के प्रबन्ध तथा रखरखाव के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए । पनधारा विकास, वास्तव में एक सामुदायिक प्रयास तथा एक सतत प्रक्रिया है । अतएव पनधारा के लाभानुभोगियों की एक समिति बनाई जाए, जो परिसम्पत्ति तथा संसाधनों के रखरखाव, प्रबन्ध, संरक्षण तथा अभिवृद्धि का कार्य सतत आधार पर करें ।

कार्रवाई

सामान्य सम्पत्ति संसाधनों के रखरखाव एवं प्रबन्ध हेतु प्रत्येक पनधारा में लाभानुभोगियों के स्वतः सहयोगी दल गठित किए जा रहे हैं ।

सिफारिश सं० 11

समिति ने यह पाया है कि पनधारा प्रबन्ध एक बहुक्षेत्रीय कार्य है जिसकी सफलता विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के मध्य समन्वित तथा सुव्यवस्थित कार्यकरण पर निर्भर होती है । अतः समन्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी कमी अपर्याप्त तथा अप्रभावी समन्वयन प्रणाली रही है । समिति को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जब-जब समन्वयन प्रभारी रूप से सुनिश्चित किया जाता रहा है वहां सफलता प्राप्त होकर रही है । विशेष सचिव ने साक्ष्य के दौरान स्वयं स्वीकार किया है कि आठवीं योजना से पूर्व प्रभावी अंतर्मंत्रालयीन समन्वयन का अभाव था । समिति सिफारिश करती है कि समन्वय का कार्य दो स्तरों पर किया जाए : नीति समर्थक एवं परियोजना नियोजन तथा कार्यान्वयन ।

समिति ने यह पाया है कि इस समय पनधारा प्रबन्ध का संबंध अनेक मंत्रालयों/विभागों, अर्थात् कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से है । राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयन/प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव है । इस समय राष्ट्रीय स्तर पर पनधारा विकास परिषद विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पाइलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर केवल नजर रखे हुए है । अतः यह अनुशंसा की जाती है कि कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पनधारा परिषद का पुनर्गठन किया जाए जिसमें ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, वित्त मंत्री/राज्य मंत्री तथा योजना आयोग (कृषि) इसके सदस्य हों । यह परिषद एक व्यापक नीति संबंधी रूपरेखा तैयार करेगी ताकि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की पनधारा विकास संबंधी गतिविधियों में समन्वयन तथा एकरूपता सुनिश्चित की जा सके । यह परिषद देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत विकास के लिए पनधारा योजना की राष्ट्रीय संदर्श योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन भी करेगी । इस संबंध में यह इच्छा है कि मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से उसे भी अवगत कराया जाए ।

समिति ने यह पाया है कि वर्तमान ढांचे में कृषकों तथा योजना के अन्य लाभानुभोगियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ।

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा विकास खंड स्तर पर एक समिति गठित की जाए जिसमें कृषकों एवं अन्य लाभानुभोगियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए । इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सरकारी तथा गैर-सरकारी, क्षेत्रों में से प्रत्येक सदस्य बारी-बारी से करें ।

कार्रवाई

नीति निर्देश जारी करने तथा कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित पनधारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों एवं इनके कार्यों की सूची अनुबंध I पर दी गई है ।

हालांकि, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित पनधारा विकास कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए अभी कोई समन्वय समिति नहीं है । समिति द्वारा यथासंशोधित कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पनधारा विकास परिषद की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी । विभिन्न समितियों में कृषकों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है और इस संबंध में सम्यक् समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

सिफारिश सं॰ 12

यदि विभिन्न सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से अतिरिक्त हैक्टेयर क्षमता के अनुमानित तुलनात्मक लागत लाभ के विश्लेषण को ध्यान में रखा जाए तो पनधारा प्रबन्ध के सभी दृष्टिकोणों से यह रास्ता अधिक मितव्ययी तथा व्यवहार्य रहेगा ।

समिति को सूचित किया गया है कि बड़े तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 35,000 रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को 7,500 रुपए प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अनुमानतः 5,000 रुपए तथा मैदानी क्षेत्रों में 4,500 रुपए की प्रति इकाई लागत पर पनधारा विकसित की जा सकती है । पहाड़ी क्षेत्रों में 500 हैक्टेयर तथा मैदानी क्षेत्रों में 2000 से 1500 हैक्टेयर तक पनधारा के सामान्य आकार को मानते हुए, औसत प्रति एकक लागत लगभग 4,000 रु॰ प्रति हैक्टेयर आती है । उपलब्ध कराये गए अध्ययनों के अनुसार ऐसी कोई पनधारा यूनिट उसके प्रारम्भ होने से पांच वर्ष के भीतर संतृप्त की जा सकती है जबकि बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से ऐसा काफी लम्बे समय के बाद होता है । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकीकृत पनधारा प्रबन्ध से उद्भूत होने वाले कई तरह के लाभ हैं जिनका उल्लेख पूर्वोक्त के पैराग्राफों में किया गया है ।

इसलिए यह समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पनधारा विकास कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रम होना चाहिए जिसे आठवीं योजना में उच्च प्राथमिकता दी जाए और तदनुसार उसके लिए संसाधन आवंटन में काफी वृद्धि की जाए ।

कार्रवाई

समिति की सिफारिश युक्तिसंगत है तथा मंत्रालय भी महसूस करता है कि पनधारा विकास के भविष्य में संसाधन ऋण में पर्याप्त वृध्दि की जा सकती है ताकि एक निश्चित समय सीमा के भीतर विस्तृत वर्षासिंचित क्षेत्रों को शामिल किया जा सके ।

अनुबंध I

स्तर	समिति	कार्य
राष्ट्रीय स्तर	1. राष्ट्रीय पनधारा विकास नीति समिति	पर्यावरण व वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना आयोग आदि जैसे मंत्रालयों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारीगणों से युक्त इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि सचिव द्वारा की जाती है तथा राज्य सरकारों के कृषि सचिव इसके सदस्य हैं । यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीति संबंधी निर्देश देती है ।
	2. राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यान्वयन समिति	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के विशेष सचिव/अपर सचिव करते हैं । यह समिति समय-समय पर पनधारा विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है ।
राज्य स्तर	1. राज्य स्तरीय नीति समिति	राज्य के मुख्यमंत्री इस समिति अध्यक्ष होते हैं तथा कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी आदि के प्रभारी मंत्री इसके

		सदस्य होते है । यह समिति राज्य स्तर पर नीति संबंधी निर्देश देती है तथा पनधारा विकास परियोजना को समर्थन प्रदान करती है ।
	2. राज्य स्तरीय परियोजना संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन समिति	राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी आदि के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होते है । यह समिति पनधारा विकास परियोजना के लिए मंजूरी जारी करती है तथा उनके कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है ।
जिला स्तर	जिला स्तरीय परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन समिति	जिला समाहर्ता इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा जिले के मुख्य विकास अधिकारी और जिला स्तर के संबद्ध विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते है । इस समिति का उत्तरदायित्व पनधारा विकास दलों द्वारा तैयार की गई पनधारा विकास परियोजनाओं की संवीक्षा करना तथा उन्हें राज्य स्तर की संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के लिए सिफारिश करने का है । यह समिति परियोजना के निर्विघ्न क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए भी जिम्मेवार है ।
पनधार स्तर	1. पनधारा विकास दल	कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी, मृदा संरक्षण विभागों से लिए गए अधिकारियों का यह एक बहुआयामी दल है । यह बहुआयामी दल विभिन्न पनधारा विकास क्रियाकलापों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है ।

धान का उत्पादन

1552. **श्री प्रमोद महाराज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धान का उत्पादन बढ़ाने और इसकी क्वालिटी में सुधार करने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 24 चावल उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस योजना के माध्यम से उच्च उत्पादक किस्मों के प्रमाणित बीजों, सूक्ष्म पोषकों खरपतवार नाशकों, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, उन्नत कृषि औजारों आदि के उपयोग पर किसानों को सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें चावल उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय चावल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सतत तथा क्रमबद्ध प्रयास कर रहे है ।

Comparative profits between farm and milk product sectors

15S3. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that producers' profits under crops in the farm sector are still superior to those of milk production on per hectare land basis;

(b) if so, whether Government have made any study on the comparative returns pattern for major crops and milk;

(c) if so, what are the details thereof: and

(d) what steps are being taken to improve the return from milk production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is difficult to compare producers' profit under crops in the farm sector and those of milk production on per hectare land basis due to various multiple input-output factors responsible for their production.

(b) and (c) NDRI (1976-77 to 1978-79) have been conducting various studies to study Income and investment pattern in dairy and crop enterprises. It has been observed that the average cost for arable unit (of 2 acres) is Rs. 2539 and for dairy unit (3 milk cows and one acre of intensive farming) is Rs. 1438. The corresponding annual return from each of these programmes is Rs. 2184 and 1096 respectively.